

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न
चिकित्सालय समूह जोधपुर

क्रमांक- एफ-2/ई/आमवि./जो./2019/4094

दिनांक:- 1 /02/2019
3

-:कार्यालय आदेश:-

शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(20)एमई/ग्रुप-1/2018 जयपुर दिनांक 28.02.2019 के द्वारा निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज हेतु दिनांक 01.03.2019 के मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्रं सं.	चिकित्सक शिक्षक का नाम मय पदनाम व विभाग	कहाँ से	कहाँ को
1	डा० गोकुल चन्द मीणा, आचार्य, पैथोलोजी	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ।	मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर ।
2	डा० रामाकिशन सारण, सह आचार्य, जनरल सर्जरी	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ।	मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर ।
3	डा० बी.एस. जोधा, आचार्य, स्त्री एवं प्रसूती रोग	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ।	मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर ।
4	डा० विकास राजपुरोहित, सह आचार्य, एनेस्थिसिया	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ।	मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर ।
5	डा० राहुल कुमार, सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ।	मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर ।

क्रमांक- एफ-2/ई/आमवि./जो./2019/4095-4100

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
दिनांक:- 1 /02/2019
1-3-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(20)एमई/ग्रुप-1/2018 जयपुर दिनांक 28.02.2019 की अनुपालना में ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर ।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर ।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष ।
5. संबंधित चिकित्सक ।
6. का.आ./व्य. पं.

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक